बिहार राज्य एवं अन्य

बनाम

एम.डी. खालिक एवं अन्य

28 नवंबर, 2001

[के.टी. थॉमस एवं एस.एन. फुकन, न्यायमूर्तिगण]

आपराधिक विधि:

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-धारा 482, 156 और 157-पुलिस द्वारा जांच-उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप--अभिनिर्धारित, जब ***प्रथम दृष्टया*** *आरोपी के खिलाफ मामला बनता है और संज्ञेय अपराध का खुलासा होता है, उच्च न्यायालय द्वारा जांच को अभिखंडित करना न्यायोचित नहीं है - अभिखंडित करने की शक्ति का प्रयोग दुर्लभतम मामलों में किया जाएगा - दंड संहिता, 1860 धारा 120ख, 419, 420 और 467।*

एक 'आर' के पूर्व मध्यस्थ की जमींदारी राज्य सरकार में निहित है। सरकार के अधिकारियों ने उत्तरदाता के साथ मिलीभगत करके उचित अधिकार क्षेत्र के बिना संपत्ति का आधिकारिक मूल्यांकन किया और पूर्व मध्यस्थ की वार्षिक आय तैयार करते समय कुछ दस्तावेजों में जालसाजी की। इन आरोपों पर आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। रिट याचिका दायर की गई और उच्च न्यायालय ने पूरी जांच को यह कहते हुए अभिखंडित कर दिया कि कोई विशेष आरोप नहीं थे। इसलिए वर्तमान अपील दायर की गई।

अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया: बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1955 के तहत देय मुआवजे के मूल्यांकन आदेश की जालसाजी के विशिष्ट आरोपों के मद्देनजर, जमींदारी के हितों की पुष्टि

करते समय धोखाधड़ी और प्राथमिकी में उत्तरदाताओं के खिलाफ साजिश रची गई, आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ *प्रथम दृष्टया* मामला बनाया गया और एक संज्ञेय अपराध का खुलासा हुआ। इस प्रकार उच्च न्यायालय को जांच में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था और पुलिस को इसे पूरा करने की अनुमति देनी चाहिए थी। [357-घ; च; ज]

हरियाणा राज्य एवं अन्य बनाम भजन लाल एवं अन्य, **[1992] अनुपूरक 1 एससीसी 335, पर अवलंबन किया गया।**

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील सं. 1217/2001।

सी.आर.डब्लू.जे.सी. सं. 243/1996 में पटना उच्च न्यायालय के दिनांक 9.12.99 के निर्णय एवं आदेश से।

अपीलकर्ताओं की ओर से बी.एस. सिंह।

उत्तरदाताओं के लिए भरत संगल की ओर से एन.पी. मिड्ढा, अधिवक्ता।

न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित द्वारा सुनाया गया:

न्यायमूर्ति फुकन, अनुमति दी गई।

विशेष अनुमति के तहत दायर इस अपील में अपीलकर्ताओं ने पटना उच्च न्यायालय के 9 दिसंबर, 1999 के सीआरडब्ल्यूजेसी सं. 243/1996 में पारित फैसले को चुनौती दी है। इस आक्षेपित फैसले के तहत उच्च न्यायालय ने एक मामले की जांच को अभिखंडित कर दिया था, जो भारतीय दंड संहिता की धाराओं 419, 467, 420 और 120ख के तहत दर्ज किया गया था। आठ आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिनमें से छह राजस्व अधिकारी और दो निजी व्यक्ति थे। दो निजी व्यक्तियों ने उच्च न्यायालय के समक्ष रिट

याचिका दायर की और उच्च न्यायालय ने इस तथ्य को नजरअंदाज करते हुए कि छह सरकारी अधिकारी थे, इस आक्षेपित आदेश के तहत पूरी जांच को अभिखंडित कर दिया।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं:

बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अनुसार पूर्व मध्यस्थ *अर्थात* रघु महतो की जमींदारी राज्य सरकार में निहित थी। यह आरोप लगाया गया था कि सरकार को संपत्ति का आधिकारिक मूल्यांकन प्रस्तुत करना था, जिसे सरकार के छह अधिकारियों ने उत्तरदाताओं के साथ मिलीभगत करके अपने निहित स्वार्थ के *दुर्भावनापूर्ण* इरादे से उचित अधिकार क्षेत्र के बिना किया था। पूर्व मध्यस्थ की वार्षिक आय तैयार करते समय दस्तावेजों में जालसाजी की गई थी। इन आरोपों पर, थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उच्च न्यायालय ने *अन्य बातों के साथ-साथ* यह मानते हुए जांच को अभिखंडित कर दिया कि रिट याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई विशेष आरोप और प्रकट कृत्य नहीं था, सिवाय इसके कि विभाग के अधिकारियों के साथ मिलीभगत से अतिरिक्त राशि वापस ले ली गई थी। उच्च न्यायालय के अनुसार रिट याचिका में उच्च न्यायालय के पहले के फैसले के मद्देनजर कोई अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया गया था।

किसी मामले की जांच में उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप करने के संबंध में विधि सुस्थापित है। *हरियाणा राज्य एवं अन्य बनाम भजन लाल एवं अन्य* [1992] अनुपूरक 1 एससीसी 335 में इस न्यायालय के पूर्व निर्णय में, इस न्यायालय ने उदाहरण के तौर पर मामलों की सात श्रेणियां बताईं, जहां अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण शक्ति या दं.प्र.सं. की धारा 482 के तहत अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग उच्च न्यायालय द्वारा किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए किया जा सकता है। सात श्रेणियों में से दो श्रेणियां हमारे वर्तमान उद्देश्य के लिए प्रासंगिक हैं अर्थात:

"(1) जहाँ प्राथमिकी अथवा परिवाद में किए गए आरोप, भले ही उन्हें उनके प्रत्यक्ष रूप में स्वीकार कर पूर्णतः सत्य मान लिया जाए, *प्रथम दृष्ट्या* कोई अपराध स्थापित नहीं करते हैं अथवा अभियुक्त के विरुद्ध कोई प्रकरण नहीं बनाते हैं।

(2) जहां प्राथमिकी और प्राथमिकी के साथ दी गई अन्य सामग्री, यदि कोई हो, में लगाए गए आरोप किसी संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं करते हैं, तो संहिता की धारा 155 (2) के दायरे में दंडाधिकारी के आदेश के अलावा, संहिता की धारा 156 (1) के तहत पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच को उचित ठहराया जा सकता है।

प्राथमिकी में बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1955 के तहत देय मुआवजे के मूल्यांकन आदेश की जालसाजी के स्पष्ट आरोप हैं और कंडिका (घ) में जमींदारी के हित की पुष्टि करते समय धोखाधड़ी के आरोप भी हैं, दो रिट याचिकाकर्ताओं के खिलाफ साजिश का एक विशिष्ट आरोप है, जिसे नीचे उद्धृत किया गया है:

"ऐसा भी प्रतीत होता है कि उक्त गबन की पूरी साजिश पूर्व जमींदार स्वर्गीय रघु महतो के पुत्र सत्य नारायण महतो द्वारा की गई है। मुख्तारनामाधारक श्री मो. खलीफ ने संबंधित अधिकारी के साथ मिलीभगत करके इस प्रकार अवैध तरीके से मध्यस्थ की मदद की, जिससे राजकीय धन का गबन हुआ।"

प्राथमिकी में लगाए गए विशिष्ट आरोपों के मद्देनजर यह नहीं कहा जा सकता कि रिट याचिकाकर्ताओं सहित आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ कोई *प्रथम दृष्टया* मामला नहीं बनता है और यह किसी संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं करता है।

भजन लाल मामले (उपरोक्त) में इस न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया है कि आपराधिक कार्यवाही को अभिखंडित करने की शक्ति का प्रयोग संयम से और सावधानी के

साथ किया जाना चाहिए और वह भी दुर्लभतम मामलों में। वर्तमान मामला दुर्लभतम मामला नहीं है।

स्थापित विधिक स्थिति को देखते हुए और चूंकि प्राथमिकी में अपराधों का खुलासा किया गया है, उच्च न्यायालय को जांच में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था और पुलिस को इसे पूरा करने की अनुमति देनी चाहिए थी। तदनुसार, हम मानते हैं कि उच्च न्यायालय ने पूरी कार्यवाही को अभिखंडित करने में गंभीर गलती की है और अभियोजन को विफल नहीं करना चाहिए था।

केवल उत्तरदाता सं. 2, अर्थात् सत्य नारायण महतो ने अपील का विरोध किया है। विद्वान अधिवक्ता ने दलील दी है कि उत्तरदाता सं. 2 को गिरफ्तारी से पहले जमानत दी जा सकती है और आश्वासन दिया है कि वह जांच में सहयोग करेगा। हम विद्वान अधिवक्ता के दलील को स्वीकार करते हैं। इसलिए, हम निर्देश देते हैं कि, यदि गिरफ्तार किया जाता है, तो उत्तरदाता सं. 2 को गिरफ्तार करने वाले प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए समान राशि में पर्याप्त जमानत के साथ बंधपत्र प्रस्तुत करने पर रिहा किया जाएगा। जब भी आवश्यक हो, वह खुद को पूछताछ के लिए उपलब्ध कराएगा।

तदनुसार, उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय को निरस्त करते हुए अपील स्वीकार की जाती है।

एन.जे. अपील स्वीकृत की गई।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।